IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में महिलाओं की गर्भपात की वैधानिक स्थिति एक विधिक अध्ययन (झाँसी संभाग के विषेश संदर्भ में।)

षोधार्थी– कु0 प्रज्ञा गुप्ता

षोधर्थी छात्रा स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एल.एन.सी.टी.विष्वविद्यालय भोपाल (म.प्र.)

षोधनिर्देषिका– डॉ0 सीमा मंडलोई

निर्देषक एवं प्रोफेसर, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज एल.एन.सी.टी.विष्वविद्यालय भोपाल (म.प्र)

षोध संक्षेप

इस षोध का उद्देष्य भारत में महिलाओं के गर्भपात की स्थिति का अध्ययन करना है। इस संदर्भ में लेख का उद्देष्य भारत में महिलाओं के गर्भपात की स्थिति में एक विधिक अध्ययन करना है। इस अध्ययन के लिए हमने अन्वेशणात्मक षोध प्रारूप के साथ वर्णनात्मक षोधा अभिकल्प का प्रयोग किया गया है जिसमें हमने सांख्यिकी उपकरण का प्रयोग किया है। आंकड़ो को प्रस्तुतिकरण के लिए चित्र का भी इस्तेमाल किया गया है। इस षोध के लिए 5 प्रतिषत सार्थकता स्तर निर्धारित किया गया था जिससे की हम षोध परिकल्पनाओं को स्वीकार एवं निरस्त कर सके। इस षोध का निश्कर्श है कि आज भी सुरक्षित गर्भपात से ज्यादा असुरक्षित गर्भपात की बढ़ोतरी हुई है।

षब्द संकेत

महिलाओं का गर्भपात, ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रो में महिलाओं का गर्भपात के कानून के बारे में जानकारी, विधिक अध्ययन, गर्भपात से संबंधित कानून, भारतीय दण्ड संहिता एवं भारत का संविधान।

प्रस्तावना

गर्भपात इस दुनिया में सभी महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक आम समस्या है चाहे वह ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिला एवं षहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिला दोनो परिवेष में है। सह समस्या ऐसी महिलाओं के साथ जो कि पेषे में हो या घरेलू हो। गर्भपात जैसे विशय के लिए कानून व्यवस्था की गई है लेकिन यह कानून व्यवस्था कहीं न कहीं सो रही है। इसलिए यह विफल है। महिलाओं की गर्भपात से संबंधित समस्या पुरूश प्रभुत्व को लेकर है और इसका उपयोग महिलाओं को यह स्थिति उत्पन्न कर देता है कि वह आज भी अपने निर्णय को लेने के लिए पुरूश से कमजोर है। एवं अपने निर्णय को लेकर स्वतंत्र नही है। एक ऐसे समाज में जहां महिलाओं के गर्भपात को समाज में चल रहे पितृसत्तात्मक मूल को दिखाने के लिए पेष किया जाता है। पुरूशो द्वारा महिलाओं के या बलात्कार के कारण लड़कियों में गर्भ का ठहर जाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। यह सांस्कृतिक प्रथाओं में निहित है एवं कार्यस्थल पर षक्ति संबंधो से बड़ जाता है। पिछले कुछ वर्शो में महिलाओं

के गर्भपात से संबंधित विशय को लेकर जागरूकता आई है। लेकिन यह जागरूकता एक सीमा तक ही निहित है। भारत में गर्भपात जैसा विशय वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14,19 एवं 21 में दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। गैर कानूनी गर्भपात को अपराध घोशित किया गया है। एक महिला के खिलाफ यह उसकी गरीमा और एक व्यक्ति के सम्मान का उल्लंघन करता है। गर्भपात को लेकर एक निष्चित परिभाशा देना काफी चुनौती पूर्ण कार्य है। फिर भी यह स्पश्ट है कि इस षब्द में महिलाओं के मानव अधिकारों का उल्लंघन षामिल है। यह एक सामाजिक समस्या है। यह अवांछनीय है। यह उम्मीद की जा सकती है इसमें निम्नलिखित में से कोई भी या सभी और इसके किसी भी रूपो में षामिल है। चाहे वह षादी के बाद गर्भपात, बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का गर्भपात, नवालिक लड़कियों का गर्भपात, निरोध के उपयोग के बाद भी गर्भ ठहर जाना, परिवार में बच्चों की संख्या पर्याप्त है, महिला को गर्भधारण के समय कोई ऐसी समस्या का आवाहन जिससे महिला के जीवन पर खतरा उत्पन्न होना, गर्भ में पल रहे षिषु को जन्म के पष्चात् किसी भी प्रकार की षारीरिक या मानसिक विकलांगता का अभाव होना।

साहित्य की समीक्षा

साहित्य की समीक्षा षोध पद्धति की एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्योकि यह उन प्रख्यात विद्वानो के योगदानों पर प्रकाष डालता है जिन्होने वर्तमान विशय पर अपने विचार, राय, तथ्य, सिद्धान्त, दृश्टिकोण पर विचार किया है। इसके अलावा साहित्य की समीक्षा पहले किए गए योग्यदान के बीच मौजूद षोध अंतराल को परिभाशित करने का प्रयास करती है। कालानुक्रमिक क्रम में प्रासांगिक साहित्य की समीक्षा नीचे दी गई है। यद्यपि कानून निवारण तंत्र प्रदान करता है लेकिन यह खामियों से कम नही है। यह आवष्यक है कि अधिनियम का उचित कार्यान्वयन किया जाए, अधिनियम के बारे मे जागरूकता पैदा की जाए और रोकथाम तंत्र को अपनाया जाए। लैंगिक समानता सुनिष्चित करने और सभी लोगों के लिए उनकी लैंगिक पहचान की परवाह किए बिना एक स्वतंत्र निर्णय का वातावरण प्रदान करना आवष्यक है। महिलाओं की भूमिका तेजी से बदलाव के साथ, एक सुरक्षित वातावरण एवं अधिनियमों से संबंधित उचित जानकारी रखना आवष्यक है। सम्मान और जागरूकता की संस्कृति का निर्माण करके समाज में स्वस्थ्य वातावरण बनाया जा सकता है। यह क्रमचारियों, आषा कार्यक्रताओं को उचित प्रषिक्षण प्रदान करके, निवारक उपायो को बढ़ाकर और उस पर रोक लगाकर किया जा सकता है। आज तकनीकि इतनी आंगे बढ़ चुकी है की जब भी किसी महिला को गर्भधारण करने की इच्छा होती है तो वह डॉक्टर की सलाह के साथ एक स्वस्थ्य गर्भ को धारण कर सकती है। इसी तरह अंचाहे गर्भ से निजात पाने के लिए वह विधिक रूप से गर्भपात कानून के अन्तर्गत दिए गए दिषा निर्देषो के आधार पर उचति प्रक्रिया द्वारा गर्भपात करवा सकती है। जो कि गर्भपात समाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत दिषा निर्देष प्रदान किए गए है।

अध्ययन का उद्देष्य

गर्भपात समाप्ति कानून के अन्तर्गत प्रावधानो का अध्ययन करना एवं गर्भपात से संबंधित वैधानिक स्थिति का अध्ययन करना।

षोध परिकल्पना

भारत में गर्भपात की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गर्भपात समाप्ति कानून (गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971) की व्यवस्था की गई है लेकिन सही मायनो में आज भी समाज की नकारात्मक सोच के कारण महिलाओं के लिए ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न होना की उनके द्वारा वैधानिक गर्भपात का चुनाव न करके अवैधानिक गर्भपात का चुनाव करना जिसके कारण सुरक्षित गर्भपात से ज्यादा असुरक्षित गर्भपात का होना।

षोध प्रविधि

निर्दषन प्रतिचयन

प्रस्तुत अध्ययन में निर्दषन द्वारा झॉसी संभाग के संबंधित ग्रामीण एवं षहरी क्षेत्रों की महिलाओं का गर्भपात से संबंधित चयन किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

अध्ययन हेतु झॉसी संभाग के विशय संदर्भ में गर्भपात से संबंधित विधिक पहलुओं का अध्ययन करना एवं गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (संषोधन विधेयक)2014, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (संषोधन विधेयक)2020, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (संषोधन विधेयक)2021, की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस अधिनियमों से समाज किस प्रकार से जागरूक हुआ है और आज समाज कितना इस कानून को अपनाता है और इसकी विधिक औपचारिकताओं का पालन करता है एवं पालन नही करता है सभी पहलुओं का अध्ययन करना।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस अध्ययन के लिए अन्वेशणात्मक षोध प्रारूप के साथ वर्णनात्मक षोध अभिकल्प दौनो का प्रयोग किया गया है, क्योकि अन्वेशणात्मक षोध प्रारूप के द्वारा नया ज्ञान नई खोच की जा सकती है जो कि हमारे षोध की परिकल्पनाये बनाने में मदद् करती है जबकि वर्णनात्मक षोध अविकल्प से हम उन परिकल्पनाओं का परिक्षण करते है जिसमें कई प्रकार के सांख्कियी के उपकरण लगाए जाते है। एवं चित्रो का उपयोग किया जाता है जो हमारे सही निर्णय लेने में सहायता करते है।

आंकड़ा संग्रहण

भारत में महिलाओं के गर्भपात की वैधानिक स्थिति : एक विधिक अध्ययन करने के लिए हमने द्वितीयक आकड़ा इकठठा किया है द्वितीयक आकड़ा के लिए हमने कई प्रकार के राश्ट्रीय एवं अतंराश्ट्रीय जनरल्स का अध्ययन किया है तथा समाचार पत्रो को भी इस्तेमाल महिलाओं के गर्भपात संबंधी अधिक जानकारी के लिए किया गया है।

निर्णय नियम

इस अध्ययन के प्रारंम्भ में ही हमने सार्थकता स्थिर पांच (5) प्रतिषत तय कर लिया है जिसका अर्थ है की हम अपने निर्णय में पंचानवै (95) प्रतिषत निष्चित है एवं केवल हमसे 5 प्रतिषत की गलती षोध परिकल्पनाओं के स्वीकार और निरस्त करने में हो सकती है। यदि हमारे अध्ययन में सार्थकता वैल्यू 0.05 से कम आती है तो हम नल हाईपोथिसिस को निरस्त करेंगे और यदि सार्थकता वैल्यू 0.05 से अधिक आती है तो हम नल हाईपोथिसिस को स्वीकार करेंगे।

मातृ मृत्यु के कारणः–

मातृ मृत्यु एक गंभीर चिंता एवं चिंतन का विशय है। मातृ मृत्यु के कारण प्रसव पूर्व और प्रसव उपरान्त दोनो है। गर्भावस्था के दौरान उक्त रक्तचाप, एनीमिया, अवरूद्ध प्रसव, डिलेवरी बाद होने वाला इंफैक्षन है।[1]

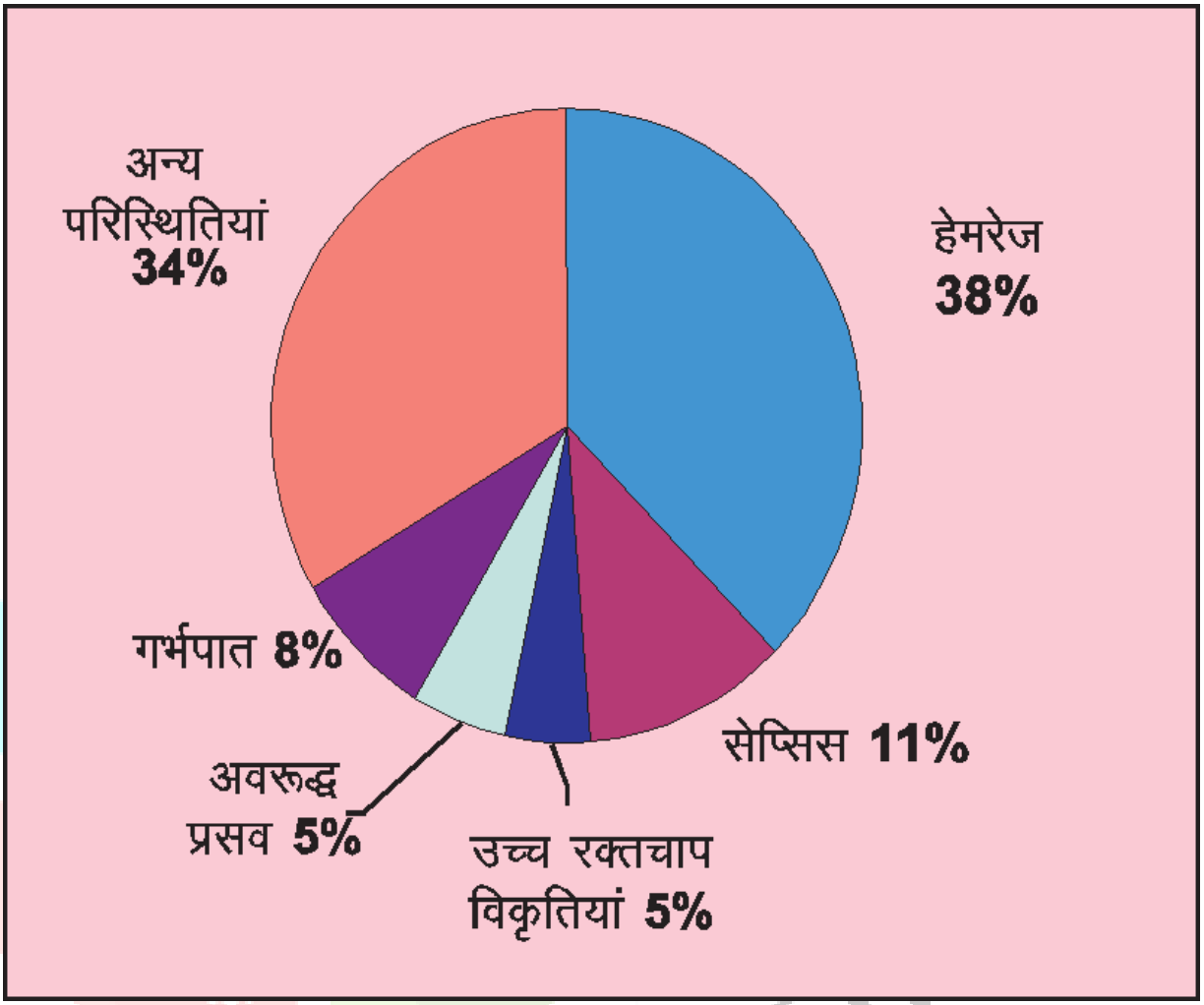

[1] मातृ म ृत्यु कार्यक्रम वार्शिक रिपोर्ट

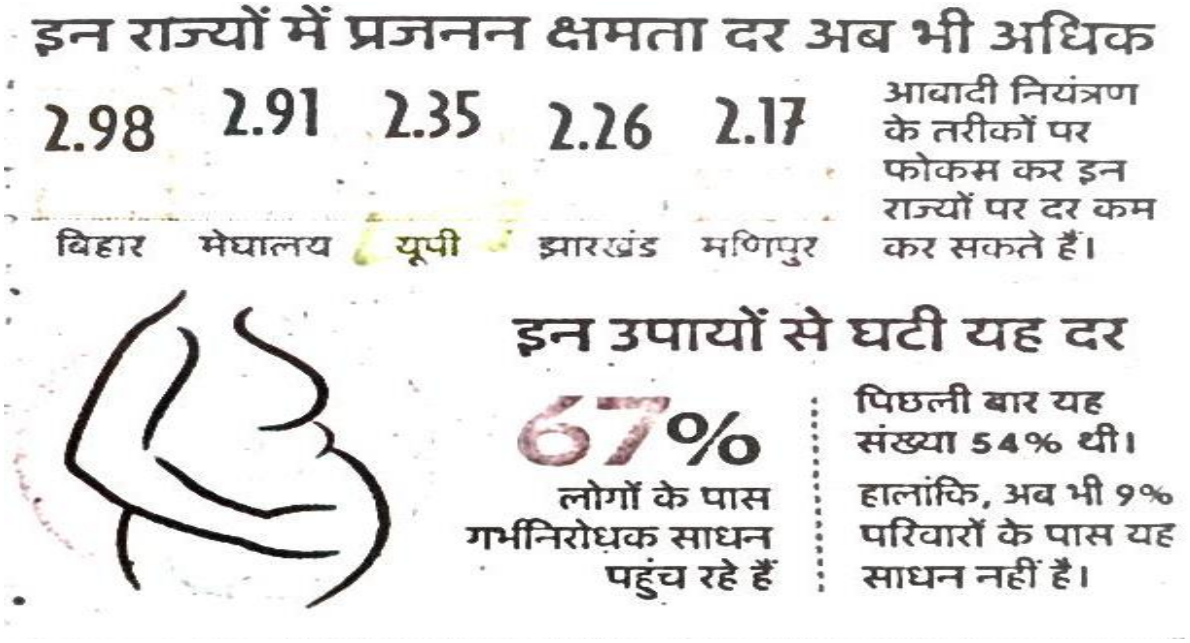

तालिकाः गर्भवस्था के विभिन्न चरणों में गर्भपात कराने की षर्तो में प्रस्तावित परिवर्तन।

2

निश्कर्श

गर्भवस्था के चरण	गर्भपात की षर्ते	
	एम टी पी एक्ट 1971	एम टी पी संषोधन बिल 2020
12 हफ्ते तक	एक डॉक्टर की सलाह से	एक डॉक्टर की सलाह से
12 से 20 हफ्ते तक	दो डॉक्टर की सलाह से	एक डॉक्टर की सलाह से
20 से 24 हफ्ते तक	अनुमति नही	कुछ श्रेणी की महिलाओं के लिए दो डॉक्टरो की सलाह से
24 हफ्ते से अधिक	अनुमति नही	भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल बोर्ड की सलाह से
गर्भवस्था के दौरान कभी भी	एक डॉक्टर अगर गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तत्काल ऐसा करना जरूरी है।	

[2] http://hi.prsindia.org/

आज भी षहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रो में गर्भपात के कानून के ज्ञान की कमी होना। तथा चिकित्सकी सलाह से ज्यादा झाड–फूक की तकनीकि को अपनाया जाना और ऐसी तकनीकि के प्रयोग से महिलाओं को होने वाले खतरे की आषंका की जानकारी का आभाव होना। जिस कारण भारत में गर्भपात की समस्या से मातृ मृत्यु दर में दिन प्रतिदिन बृद्धि हो रही है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

पुस्तके/अधिनियमः–

- गर्भपात चिकित्सीय समापन(निवारण) कानून 1971
- भारतीय चिकित्सा परिशद अधिनियम 1956(1956 का 102)
- भारतीय दण्ड संहिता 1860
- भारतीय संविधान (डॉ0 मुरलीधर चतुर्वेदी)

वेवसाईट व समाचार पत्र

- http://hi.prsindia.org
- मातृ मृत्यु कार्यक्रम वार्शिक रिपोर्ट
- अमर उजाला दिनॉक 07/06/2022